राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 9(28)/एसटीए/आरटीए/परि/मु./1988/II/51317 जयपुर, दिनांकः 24-06-2014

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त उप-धारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 7(100)(71) परि/नियम/2002/II दिनांक 27.05.2014 के द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना में राज्य परिवहन प्राधिकरण, इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9(28)/एसटीए/आरटीए/परि/मु./1988/II/9191 दिनांक 08.08.2011 को अधिक्रमित करते हुए, अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर चलायी जा रही मंजिली गाडियों से भिन्न, मंजिली गाडियों के संबंध में अधिकतम यात्री भाडा नीचे उल्लेखित रूप से नियत करती है-

(1)	साधारण सेवा	85 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(2)	एक्सप्रेस/मेल सेवा	90 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(3)	सेमी डीलक्स सेवा	98 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(4)	डीलक्स सेवा	150 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(5)	वातानुकूलित सेवा	220 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

स्पष्टीकरण संख्या -1

यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होगी कि वयस्क यात्रियों से 5 कि. मी. की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री भाडा 5.00 रू. होगा और बालक यात्रियों के मामले में 2 रूपये होगा।

स्पष्टीकरण संख्या -2

"एक्सप्रेस/मेल सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार या यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्थान तथा जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर ठहरने के सिवाय कम से कम 40 कि.मी. तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती। एक्सप्रेस/मेल बसों में गद्दीदार सीटें लगी होगी।

स्पष्टीकरण संख्या -3

(क) "सेमी डीलक्स" सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें:-

1. मुख्य स्तंभ केन्द्र 736.6 मि.मी. से अधिक है,
2. सीट फ्रेम विश्रामक किस्म के अच्छे उच्च पृष्ठ वाले हो किन्तु सिर विश्रामक की व्यवस्था नहीं हो। सीट फ्रेम की ऊँचाई सीट ग्रेब रेल सहित 1040 मि.मी. हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 762 मि.मी. हो,
4. विकसित किस्म का रबड फोम पृष्ठ विश्रामक के काम में लिया गया हो, तथा
5. सीट विस्तार प्रति यात्री 406.4 मि.मी. X 406.4 मि.मी.हो।

(ख) "डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें:--

1. मुख्य स्तंभ केन्द्र 1435.10 मि.मी. से कम नहीं है,
2. सीटे या तो स्थिर, पीछे की ओर झुकावदार हो या समायोजन किस्म की हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 914.44 मि.मो. हो,
4. 8 पंखे, 5 ट्यूब लाईट और न्यूनतम दो एयर वेन्टीलेटर लगे हो,
5. सीट फ्रेम की ऊँचाई 1040 मि.मी. हो,
6. बॉडी सर्वतः अवरोधक (इंसुलेटेड) हो, तथा
7. सीट विस्तार प्रति यात्री 456 मि.मी. X 456 मि.मी. हो।

स्पष्टीकरण संख्या –4

यात्री भाडा 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगणित किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिए 0.5 कि.मी. से अधिक 5 कि.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जावेगा ओर 0.5 कि.मी. तक की दूरी को छोड दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या –5

संगणित यात्री भाडे की राशि 1.00 रू. के गुणक में निर्धारित की जावेगी और 49 पैसे या कम की राशि को छोड दी जायेगी तथा 49 पैसे से अधिक की कोई भी राशि 1.00 रू. तक पूर्णांकित की जावेगी।

उदाहरणार्थः–

1.01 रू. से 1.49 रू.	=	1.00 रू.
1.50 रू. से 1.99 रू.	=	2.00 रू.

(राजेश्वर सिंह)
सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
परिवहन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 9(28)/एसटीए/आरटीए/परि/भु./1988/II/ 5038-30 जयपुर, दिनांकः 24/6/14

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 24·6·14 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव,राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त, राजस्थान सरकार।

5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
7. विधि एवं न्यायिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अपर परिवहन आयुक्त जोन।
9. समस्त सचिव/अति. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार। (समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी)
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
12. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

अपर सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार